

अध्याय - 10

जीवन बीमा में मूल्यन एवं मूल्यांकन

1. बीमा मूल्यन - मूल तत्व

(क) बीमा अनुबन्ध

◌: प्रीमियम भुगतान करता है।

◌: बीमा संरक्षण पदान करता है।

(ख) छूट

◌: बीमा कम्पनी देय प्रीमियम पर कुछ खास प्रकार के छूटें प्रदान करती है। ऐसी दो छूटें निम्नलिखित हैं:

◌: बीमा राशि के लिए

◌: प्रीमियम भुगतान विधि के लिए

2. प्रीमियम के तत्व

(क) मन्त्र्यता

(ख) व्याज

(ग) प्रबन्धन-व्यय

(घ) कोष

(ङ) बोनस लोडिंग

3. लोडिंग की राशि निर्धारित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

(क) पर्याप्तता

(ख) ईक्विटी

(ग) प्रतिस्पर्धात्मकता

4. सकल प्रीमियम त्र शुद्ध प्रीमियम \$ व्यय के लिए लोडिंग \$ आकस्मिकताओं के लिए लोडिंग \$ बोनस लोडिंग

5. अधिशेष एवं बोनस का निर्धारण

(क) अधिशेष एवं बोनस का निर्धारण

◌: प्रत्येक बीमा कम्पनी से आशा की जाती है कि वह अपनी आस्तियों एवं देयताओं का समय-समय पर मूल्यांकन करे। इस प्रकार के मूल्यांकन के दो उद्देश्य होते हैं।

◌: जीवन बीमा कम्पनी की आर्थिक दशा के मूल्यांकन के लिए, दूसरे शब्दों में कहा जाय तो यह निर्धारित करने के लिए कि कम्पनी ऋण चुकता करने में सक्षम है या नहीं।

◌: यह निश्चित करने के लिए कि पॉलिसीधारकों/षेयरधारकों में वितरित करने के लिए अधिषेध उपलब्ध है या नहीं

(ख) अधिषेध

◌: देयताओं के मूल्य से आस्तियों का मूल्य से अधिक होने पर अधिषेध रहता है। यदि यह नकारात्मक है तो इसे दबाव के रूप में जाना जाता है- अधिषेध त्र आस्तियां - देयताएं

(ग) आस्तियों का मूल्यांकन निम्न तीन विधियों में से किसी भी विधि से किया जाता है

◌: पुस्तक मूल्य पर: यह वह मूल्य होता है जिस पर जीवन बीमा कम्पनी ने अपनी आस्तियों को खरीदा या संप्रदाय किया होता है।

◌: बाजार मूल्य पर: बाजार में जीवन बीमा कम्पनी की आस्तियों का मूल्य

◌: कम किया गया वर्तमान: विभिन्न आस्तियों से भविष्य में होने वाली आय का अनुमान लगाना तथा वर्तमान मूल्य को उसमें से कम करना।

(घ) बोनस

◌: बोनस किसी अनुबन्ध के अन्तर्गत मूल लाभ के अतिरिक्त किया गया भुगतान होता है। प्रतीकात्मक रूप से यह मूल बीमा राशि या मूल वार्षिक पेंशन के अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली राशि होती है।

(ड) यूनिट लिंक्ड पॉलिसियां

(क) इनमें उत्पादों की रचना भिन्न प्रकार से की जाती है तथा उसमें भिन्न प्रकार के सिद्धान्तों का पालन किया जाता है।

◌: इकाईकरण: लाभों का निर्धारण दावे के समय खाते में जमा इकाइयों के मूल्य के आधार पर किया जाता है।

◌: पारदर्शी संरचना: बीमा संरक्षण के लिए प्रभार तथा व्यय तत्व स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं।

◌: मूल्यन: प्रीमियम राशि का निर्णय बीमित करता है तथा बीमा संरक्षण प्रदत्त प्रीमियमों का गुणज होता है।

◌: निवेश जोखिम: इसका बहन बीमित द्वारा किया जाता है।